परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/आठ/परि./2011.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

सं. क्र.	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	शिक्षार्थी लायसेंस का जारी किया जाना	टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद 10 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / उप-निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर
2	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	वाहन चालन अनुज्ञप्तियों का निर्गमन / नवीनीकरण	टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद 21 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / उप-निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक / वरिश्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर
3	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन	30 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / उप-निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर
4	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	वाहनों का अस्थायी पंजीयन	15 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर
5	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों का पंजीयन	30 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / उप-निरीक्षक / कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर
6	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण	15 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / उप-निरीक्षक / कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर
7	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	अवक्रय करार आदि का पृष्ठांकन / निरस्तीकरण	30 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / उप-निरीक्षक / कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर
8	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन कार्यालय	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना	पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 30 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक / उप-निरीक्षक / कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / सहायक क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर

टीप—
1. **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी क्रमशः रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर तथा अंबिकापुर, जिला-सरगुजा में कार्यरत है।**
2. **अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी क्रमशः दुर्ग एवं राजनांदगांव में कार्यरत है।**
3. **जिला परिवहन अधिकारी, क्रमशः दंतेवाडा / कांकेर / धमतरी / महासमुंद / कबीरधाम / जांजगीर-चांपा / कोरबा / रायगढ़ / जशपुर तथा कोरिया में कार्यरत है।"**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.